



UPMO010060922026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-1, मुरादाबाद
पीठासीन अधिकारी- (अनिल कुमार-IV), (उ०प्र० न्यायिक सेवा) - UP06124

द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र सं०-1658 / 2026

कर्मवीर सिंह बनाम उ० प्र० राज्य।

मुकदमा 333 / 2026
अपराध सं०
धारा 109(1), 351(2), 3(5)
 बी०एन०एस०
थाना मझोला
जिला मुरादाबाद

जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के समय बार-बार पुकार पर आवेदक/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र पर बल देने हेतु कोई उपस्थित नहीं है और न ही कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी उपस्थित हैं। चूंकि जमानत प्रार्थना पत्र पर बल देने हेतु कोई उपस्थित नहीं है, ऐसी स्थिति में जमानत प्रार्थना पत्र बल न देने के कारण निरस्त होने योग्य है।

तदनुसार उक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक— 01-06-2026

(अनिल कुमार-IV)
(आई०डी० नं० यू०पी० 6124)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं० 01,
मुरादाबाद।